रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3728] नई दिल्ली, मंगलवार नवम्बर 19, 2019/कार्तिक 28, 1941
No. 3728] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 19, 2019/KARTIKA 28, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2019

का.आ. 4152(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 4889(अ), तारीख 18 सितम्बर, 2018, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 19 सितम्बर, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युतर में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर मंत्रालय में विचार किया गया था;

और, बिलिगिरिरंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य सरकार की अधिसूचना सं. एफईई 133 एफडब्ल्यूएल 2008 तारीख 24 जनवरी, 2011 द्वारा 574.82 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को व्याघ्र आरक्षिती के रुप में घोषित किया था;

और, बिलिगिरिरंगास्वामी मंदिर बाघ रिज़र्व कर्नाटक राज्य के चामराजनगर जिला में (कोलेगल, येलनदूर और चामराजनगर तालुका) अवस्थित है और उत्तरी अक्षांश 11° 43' तथा 12° 08' के मध्य और पूर्व देशांतर 77° 00' तथा 77° 16' के मध्य अवस्थित है;

और, बाघ रिज़र्व में मुख्य जीवजंतु में शामिल बाघ, हाथी, गौर, तेंदुआ, सांभर, चित्तीदार हिरण, मुंजक, चौसिंगा मृग, रीछ, जंगली कुत्ता, पिसूरी आदि का वास है;

और, बाघ रिज़र्व नीलगिरि जीव रिज़र्व का एक भाग है और भारत सरकार के हाथी परियोजना द्वारा मैसूर हाथी रिज़र्व के रुप में घोषित है संपूर्ण संरक्षित क्षेत्र संभाग के आस-पास के क्षेत्रों सहित विशिष्ट वन है जो सत्यमंगला संभाग मदुमलाई संरक्षित क्षेत्र, कोलेगल प्रखंड, कावेरी वन्यजीव पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मध्य एक सेतु के रुप में कार्य करते है। बाघ रिज़र्व में शुष्क झाड़ीदीर जंगल से लेकर सदाबहार वन और झाड़ी घास के मैदान और अधिक ऊँचाई वाले घास तक अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं;

और, बाघ रिज़र्व कर्नाटक में मलाई महादेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के साथ जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु में यह तालामालाई आरक्षित वन, गुट्टी-येलट्टुर संरक्षित वन और अन्य क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है जो देश के सबसे बड़े वन्यजीव पर्यावासों में से एक है। तमिलनाडु से सटे राज्य में आरक्षित वनों के माध्यम से मुदुमलाई और बांदीपुर बाघ रिज़र्व और आगे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के लिए कनेक्टिविटी है। बिलिगिरिरंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य लगभग 35-50 बाघों को रखने के लिए जाना जाता है;

और, यह अभयारण्य क्षेत्र गुंडल और सुवर्णवती नदियों के लिए एक महत्त्वपूर्ण आवाह क्षेत्र के रूप में कार्य करता है जो कावेरी नदी की प्रमुख सहायक हैं। यह अभयारण्य गौडाहल्ली, कृष्णियाकाटे, केके बांध और बेलथा जलाशयों के लिए एक महत्त्वपूर्ण आवाह क्षेत्र के रूप में भी कार्य करता है;

और, बाघ रिज़र्व से स्तनधारियों की 28 प्रजातियां, पक्षियों की 274 प्रजातियां, उभयचरों की 14 प्रजातियां, सरीसृप की 23 प्रजातियां, वनस्पतियों की 1350 प्रजातियां, तितलियों की 145 प्रजातियां, चिकित्सीय पादपों की 886 से अधिक प्रजातियां और आर्किड की लगभग 25 प्रजातियों की रिपोर्ट की गई है;

और, बिलिगिरिरंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य नीलगिरी जीवमंडल रिज़र्व (5500 वर्ग किमी) का भाग है। सैथीमंगल विभाग, मदुमालाई संरक्षित क्षेत्र, मालाई महादेश्वर और कावेरी वन्यजीव विभागों के आस-पास के क्षेत्रों के साथ पूर्ण संरक्षित क्षेत्र जैव-भौगोलिक क्षेत्र का एक अद्वितीय हिस्सा बनता है जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाटों के बीच एक बांध के रूप में कार्य करता है। बिलिगिरिरंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य शुष्क झाड़ी से सदाबहार जंगल और झाड़ी सवाना और उच्च ऊंचाई घास के मैदानों से बहुत अच्छी तरह से वनस्पति के साथ बहुत ही अद्वितीय है और "राष्ट्रीय विरासत" के रूप में संरक्षित करने के योग्य है। वनस्पतियों में *एनोगेसस लैटिफोलिया, डेलबर्गिया पैनिकुलाटा, बेसवेलिया सेरेटा, कमिफोरा कौडेट, आकाकिया चुंद्रा, डिओस्पिरोस मेलेनोक्सिलॉन, एलियोकार्पस ट्यूबरक्युलैटस, सिज़िगियम मालाबारिकम, शेफ्लेरला कैपिटाटा, कुकुर्मा नेइलघेरेंसिस* इत्यादि शामिल हैं;

और, बिलिगिरिरंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य में पाई गई वनस्पतियों की दुर्लभ संकटापन्न लुप्तप्राय प्रजातियां कागाली (*अकाकिया कैटेचु*), डिंडिगा (*एनोगेइसस लैटिफोलिया*), मुथुगा (*बुटिया मोनोस्पर्मा*), उरुगलु (*क्लोरोक्साइलॉन स्विटिएनिया*), बिते (*डालबर्गिया लैटिफोलिया*), कामरा (हार्डविकिया बिनाटा), होन्ने (*प्टेरोकार्पस मर्सुपियम*), श्रिगंधा (*सैंटलम एल्बम*), सागड़े (*श्लेचेरा ओलोसा*), मट्टी (*टर्मिनलिया पैनिकुलाटा*), तारे (*टर्मिनलिया बेलेरिका*), हेल, हलगौरी (*राइटिया टिनक्टरिया*), जलारी (*शोरिया*) आदि हैं;

और, मालाई महादेश्वर वन्यजीव अभयारण्य में पाए गए स्तनधारियों और सरीसृपों की दुर्लभ संकटापन्न लुप्तप्राय प्रजातियां भारतीय जंगली कुत्ता और ढोले (*कुओनल पिनस*), गोल्डन सियार (*कैनिस ऑरियस*), धारीदार लकड़बग्घा (*हेयना हेयना*), रीछ (*मेलुर्सस अरसिनस*), जंगली बिल्ली (*फेलिस चाउस*), रस्टी-स्पॉटेड कैट *(प्रिओनैलुरुस रुबीगिनोसस),* स्मूथ कोउटेड ओटेर *(लुटरोगले पेरस्पिकिल्लाटा),* ओरिएंटल छोटा चलावड ओटर ***(ओंयक्स किनेरााराय),*** सामान्य ऊदबिलाव (लुतरा लुतरा), हनी बैजर (*मेलिवोरा कैपेन्सिस*), भारतीय साही (*हाइस्ट्रिक्स इंडिका*), भारतीय साल (*मैनीस क्रैसिकाडाटा*), छोटा भारतीय मुसंग (*विवर्रिकुला इंडिका*), सामान्य मुसंग (*पैराडाक्सुरस हर्मैफ्रोडाइटस*), रड्डी नेवला (*हर्पेस्टेस स्मिथि*), स्ट्रीप नेक्ड नेवला (हेरपेस्टस *विट्टीकोलिस*), ग्रे नेवला (*हेर्पेस्टेस एडवार्ड्सी*), एशियाई हाथी (*एलेफस मैक्सिमस*), गौर (*बोस* गौरस), सांभर (*रूसा यूनीकोर्लर*), चितल (*एक्सिस एक्सिस*), चौसींगा मृग (*टेट्रासेरस क्वाड्रिकॉर्निस*), काला हिरण (*एंटिलोप सर्विकाप्रा*), जंगली सुअर (*सुस स्क्रोफा*), भारतीय मुंजक (*मुनटीक्स मुनतजक*), भारतीय स्पॉटेड शेवरोटैन (*मोस्कोओला इंडिका*), दक्षिणी मैदानी ग्रे लंगूर (*सेमनोपिथेकस हुसुमियेरी*), लघु पुच्छ वानर (*मकाका रेडिएटा*), ब्लैक नेपड खरगोश (*लेपस*

निग्रिकोलिस), ग्रिज़ल्ड विशाल गिलहरी (*रतुफा मैक्रौरा*), भारतीय विशाल उड़ान गिलहरी (*पेटोरिस्टा फिलिपेंसिस*), मद्रास ट्री श्रेव (*अनाथाना इलीओटी*), मार्श मगरमच्छ (*क्रोकोडाइलस पालस्ट्रिस*), भारतीय मॉनीटर छिपकली (*वारानस बेंगलेंसिस*), डेक्कन महसीर (तोर खुदरै), भारतीय लोमड़ी (*वुल्प्स बेंगलेंसिस*), भूरा नेवला (*हेर्पेस्टेस एसपी*)आदि हैं;

और, बिलिगिरिरंगास्वामी मंदिर बाघ रिज़र्व के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, जैव विविधिता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य चामराजनगर जिला में बिलिगिरिरंगास्वामी मंदिर बाघ रिज़र्व की सीमा के चारों ओर 0.50 किलोमीटर से 6.00 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को बिलिगिरिरंगास्वामी मंदिर बाघ रिज़र्व वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिलिगिरिरंगास्वामी मंदिर बाघ रिज़र्व की सीमा के चारों ओर 0.50 किलोमीटर से 6.00 किलोमीटर परिवर्ती तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 262.43 वर्ग किलोमीटर होगा (राजस्व/संलग्न ग्राम और अधिसूचित वन क्षेत्र शामिल है) है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और बिलिगिरिरंगास्वामी मंदिर बाघ रिज़र्व की सीमा का विवरण **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश तथा देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बिलिगिरिरंगास्वामी मंदिर बाघ रिज़र्व के मानचित्र **उपाबंध–II क, उपाबंध–II ख** और **उपाबंध–II ग** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और बिलिगिरिरंगास्वामी मंदिर बाघ रिज़र्व की सीमा के भू निर्देशांकों की सूची **उपाबंध III** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हैं के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप भी और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से की जाएगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृषि;
(iv) राजस्व;
(v) नगर विकास;
(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग;

(xii) राजमार्गो;और

(xiii) कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी के पैरा-4 में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह-विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कार्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु यह पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों.**- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण तथा नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी एवं राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी–पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की तथा उपक्षेत्रों की पहचान एवं उनके संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और निवारण के लिए पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा.-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा.-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 343(अ), तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम

प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा.-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन अधिसूचना 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	विवरण (3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां ।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें तथा उनकों तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होगी। (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालित होंगी ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी

		मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
6.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
7.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
8.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
9.	फर्मों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे:- परंतु यह कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन,

		सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।
12.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
13.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
14.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
15.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
16.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
17.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
18.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुगधशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
19.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
20.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
21.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
22.	ठोस अपशिष्ट एवं प्रबन्धन।	ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन।
23.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
24.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।

27.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
28.	पारिस्थितिकी-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
29.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है ।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	निम्नीकृत भूमि/ वन / वास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थात्:-

क्र.सं.	**मानीटरी समिति का संविधान**	**पद**
1.	प्रादेशिक आयुक्त, मैसूर	अध्यक्ष,पदेन;
2.	विधान सभा का माननीय सदस्य (एम एल ए), चामराजनगर निर्वाचन क्षेत्र	सदस्य;
3.	विधान सभा का सदस्य (एम एल ए), कोल्लेगल निर्वाचन क्षेत्र (*संबंधित अनुमोदन प्राप्त करने का कर्नाटक राज्य सरकार का विषय के साथ-साथ जिसके अंतर्गत कर्नाटक विधान सभा अध्यक्ष से अनुमति भी है, यदि अपेक्षित हो ।)*	सदस्य;
4.	पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य;
5.	कर्नाटक सरकार के शहरी विकास विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य;
6.	प्राकृतिक संरक्षण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि को राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाना है	सदस्य;
7.	प्रादेशिक अधिकारी, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, चामराजनगर	सदस्य;
8.	राज्य सरकार द्वारा नामित कर्नाटक राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
9.	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	सदस्य;

10.	राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
11.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
12.	उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि, चामराजनगर	सदस्य;
13.	चामराजनगर वन्यजीव प्रभाग के प्रशासनिक प्रमुख	सदस्य –सचिव।

6. निर्देश–निबंधन.- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन तक के लिए होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैराग्राफ 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संविक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रींय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) इस अधिसूचना के पैराग्राफ 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध V** में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/19/2016-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

बिलिगिरिरंगास्वामी मंदिर बाघ रिज़र्व कर्नाटक के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

उत्तर	सीमा रेखा कोलेगल तालुक की थिम्माराजापुरा ग्राम सीमा के मदुमलागुड्डा आरक्षित वन के उत्तर पूर्वी बिंदु के साथ जी.पी.एस निर्देशांक उ 12° 7'28", पू 77° 6'5" से आरंभ होकर और इसके बाद मदुमलागुड्डा और इसके बाद मदुमलागुड्डा राजस्व वन के उत्तरी भाग के साथ होते हुए यह थिम्माराजापुरा ग्राम सीमा के मदुमलागुड्डा राजस्व वन के उत्तरी छोर पहुँचती है । इस बिंदु से रेखा थिम्माराजापुरा ग्राम सीमा के साथ पूर्व की ओर जाती है फिर यह निर्देशांक उ 12°7'40", पू 77° 7' 54" पहुँचती है। इसके बाद रेखा थिम्माराजापुरा ग्राम सीमा के साथ जाती है फिर यह थिम्माराजापुरा और होन्दराबलु ग्रामों के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा होन्दराबलु ग्राम की पश्चिमी सीमा के साथ पुनः जाती है फिर यह कोलेगल तालुक के होन्दराबलु ग्राम के उत्तर पश्चिमी छोर पहुँचती है । इसके अतिरिक्त, रेखा होन्दराबलु ग्राम के साथ कुछ दूरी पर पूर्व की ओर जाती है फिर यह निर्देशांक उ 12° 9' 1", पू 77° 8' 10" के साथ होन्दराबलु और मधुवनाहल्ली ग्रामों के द्वि-जंक्शन पहुँचती है। इसके बाद रेखा कोलेगल तालुक के मधुवनाहल्ली ग्राम के साथ उत्तरी दिशा में पुनः जाती है फिर यह डोड्डा रंगनाचनाकेरे चैनल के बिंदु पहुँचती है और इसके अतिरिक्त रेखा मधुवनाहल्ली ग्राम थाना से होते हुए डोड्डा रंगनाचनाकेरे चैनल के साथ पूर्व की ओर जाती है और इसके अतिरिक्त इस चैनल के साथ पूर्व की ओर जाकर यह हरवानपुरा ग्राम सीमा के कोनगाराहल्ली ग्राम की सड़क के बिंदु पहुँचती है । इस बिंदु से रेखा हरवानपुरा ग्राम के साथ नीचे की ओर जाकर यह निर्देशांक उ 12° 8' 52", पू 77° 11' 18" के साथ कोलेगल तालुक के हरवानपुरा और लक्ष्मीपुरम ग्रामों के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा लक्ष्मीपुरम ग्राम की बाहरी सीमा के साथ पुनः और नीचे की ओर जाती है यह कोलेगल तालुक के कोलेगल-हसनुर सड़क (एस.एच-38) के लक्ष्मीपुरम और होना बर्रबेत्ता ग्राम के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है।
पूर्व	कोलेगल- हसानुर सड़क (एसएच-38) बिंदु के ऊपर से रेखा नीचे की ओर जाती है और होना बर्रबेट्टा ग्राम से होते हुए कोलेगल- हसानुर सड़क के साथ जाती है फिर यह कोलेगल- हसानुर सड़क के निर्देशांक उ 12° 4' 56", पू 77° 12' 59" के बिंदु के साथ पहुँचती है । इसके बाद रेखा कोलेगल तालुक के होना बर्रबेट्टा और चैनलीलिंगनाहल्ली ग्रामों से होते हुए उसी सड़क के साथ दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर जाती है फिर यह उसी सड़क के निर्देशांक उ 12° 4' 50", पू 77° 14' 7" के बिंदु के साथ पहुँचती है। इसके बाद रेखा कोलेगल तालुक के चिक्का मालापुरा और सिरागोदु ग्रामों से होते हुए कोलेगल- हसानुर सड़क के साथ दक्षिण की ओर जाती है फिर यह उसी सड़क के निर्देशांक उ 12°2' 3", पू 77° 14' 56" के बिंदु के साथ पहुँचती है । इस बिंदु से रेखा कोलेगल तालुक के लोक्कानाहल्ली ग्राम के उत्तरी भाग के साथ पूर्व की ओर जाती है फिर यह लोक्कानाहल्ली और सिरागोदु की सामान्य ग्राम सीमा के निर्देशांक उ 12° 2'3", पू 77°16' 17" के साथ बिंदु पहुँचती है । इसके बाद रेखा लोक्कानाहल्ली और सिरागोदु ग्रामों की सामान्य ग्राम सीमा के साथ जाती है फिर यह हनुर आरक्षित वन (मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य में सम्मिलित) के बिंदु को छूती है । इसके अतिरिक्त रेखा लोक्कानाहल्ली ग्राम के पूर्वी भाग और मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य की सामान्य सीमा के साथ जाती है फिर यह निर्देशांक उ 11° 59' 39", पू 77° 16' 39" के साथ लोक्कानाहल्ली ग्राम के दक्षिण पूर्वी छोर पहुँचती है । इसके बाद रेखा लोक्कानाहल्ली ग्राम की दक्षिण पश्चिमी छोर तक लोक्कानाहल्ली ग्राम की दक्षिणी सीमा के साथ पश्चिमी की ओर जाकर और इसके अतिरिक्त लोक्कानाहल्ली और होना बर्रबेट्टा ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ उत्तरी की ओर जाती है, फिर यह लोक्कानाहल्ली और होना बर्रबेट्टा ग्रामों के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा होना बर्रबेट्टा ग्राम सीमा के साथ पश्चिम की ओर जाकर और इसके अतिरिक्त मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य (हनुर आरक्षित वन) के साथ ग्राम सीमा के पूर्वी भाग के दक्षिण की ओर नीचे की ओर जाती है फिर यह निर्देशांक उ 11° 59' 38", पू 77° 15' 17" के बिंदु के साथ पहुँचती है । इसके बाद रेखा हनुर आरक्षित वन सीमा के साथ

	और होना बर्रबेट्टा ग्राम की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिण की ओर जाती है फिर यह निर्देशांक उ 11° 57' 11", पू 77° 15' 50" के साथ होना बर्रबेट्टा ग्राम, हनुर आरक्षित वन, इदयाराहल्ली आरक्षित वन के पूर्वी छोर के त्रि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है । इस बिंदु से रेखा इसके अतिरिक्त होना बर्रबेट्टा ग्राम के पूर्वी सीमा के साथ दक्षिण की ओर जाकर, जो इदयाराहल्ली आरक्षित वन सेवा (मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य में सम्मिलित) है फिर यह कोलेगल-हसानुर सड़क के बिंदु पहुँचती है और इसके अतिरिक्त रेखा कोलेगल-हसानुर सड़क के साथ जाती है, जो बिलिगिरिरंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य और मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य की सामान्य सीमा है फिर कोलेगल तालुक के अरबीगेरे ग्राम के उत्तर पश्चिमी भाग पहुँचती है। इसके बाद सीमा रेखा मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य के संबंधित ग्रामों के निर्देशांक उ 11° 55' 17", पू 77° 15'42" और उ 11° 55' 44", पू 77° 17'9" से होते हुए कोलेगल तालुक के अरबीगेरे और परसेगोवदानापलया ग्रामों की उत्तरी भाग के साथ होते हुए जाती है । इसके अतिरिक्त, रेखा मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य के पश्चिमी सीमा के निर्देशांकों उ 11° 54' 53", पू 77° 17' 55", उ 11° 52'35", पू 77° 17'44", उ 11° 50' 39", पू 77° 16'51" और उ 11° 48'43", पू 75°15' 15" से होते हुए कोलेगल तालुक के परसेगोवदानापलया, हुथुर और बायलुर ग्रामों के पूर्वी भाग के साथ नीचे की ओर जाती है।
दक्षिण	निर्देशांक उ 11° 48'43", पू 75° 15' 15" के साथ बिंदु के ऊपर से सीमा तमिलनाडु और कर्नाटक की अंतर राज्य सीमा के साथ पश्चिमी की ओर जाती है, चामराजनगर तालुक के मुकलपलया और होन्नेगौदालोहुन्दी ग्रामों, कोलेगल तालुक, पुंजुर ग्राम के अंतर्गत और निर्देशांक उ 11° 46' 30", पू 77° 1' 47" और उ 11° 46'20", पू 77° 3' 27" से होते हुए जाती है फिर यह चामराजनगर जिला के हारादानहल्ली जिला वन (ग्राम) और बोम्मालाहल्ली के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है । कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच अंतर-राज्य सीमा के संपूर्ण बिलिगिरिरंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य का दक्षिणी भाग है । इसलिए तमिलनाडु वन विभाग प्राधिकरण के अनुसार पारिस्थितिक संवेदी जोन के पर्यावरण और वन मंत्रालय, दिल्ली दिशा/दिशा निर्देशों वाइड पत्र सं. 1-9/2007 डब्ल्यू एल-(पी टी) दिनांक: 16-12-2013 के लिए निवेदन किया गया । इसके अतिरिक्त सभी संलग्नों के अंतर्गत आरक्षित वनों अर्थात चमराजनगर राज्य वन, बिलिगिरिरंगास्वामी मंदिर विस्तार वन और धारा 4 अधिसूचित क्षेत्रों बिलिगिरिरंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य में पारिस्थितिक संवेदी जोन के अभयारण्य/आरक्षित की पारिस्थितिक अखंडता को बनाए रखने के रूप में शामिल किया गया है।
पश्चिम	द्वि-जंक्शन बिंदु के ऊपर से रेखा बोम्मानाहल्ली ग्राम की दक्षिणी सीमा के साथ जाती है और इसके अतिरिक्त बोम्मानाहल्ली ग्राम की पूर्वी सीमा के साथ पुनः उत्तरी की ओर जाती है फिर यह निर्देशांक उ 11° 48' 57", पू 76° 58'49" के साथ बिंदु पहुँचती है । इसके बाद रेखा बोम्मानाहल्ली ग्राम के पूर्वी और उत्तरी भाग के साथ जाती है फिर यह बोम्मानाहल्ली ग्राम के उत्तरी छोर और बोम्मानाहल्ली और हदानाहल्ली जिला वन (ग्राम) के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है और इसके अतिरिक्त हदानाहल्ली जिला वन (ग्राम) सीमा के पश्चिमी के भाग के साथ जाती है फिर यह निर्देशांक उ 11° 52' 7", पू 77° 0' 10" के साथ बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा हदानाहल्ली जिला वन (ग्राम) सीमा के उत्तरी भाग के साथ पुनः जाती है फिर यह हदानाहल्ली और कुम्बेशवरा कॉलोनी ग्रामों के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है । इस बिंदु से सीमा चामराजनगर तालुक के कुम्बेशवरा कॉलोनी की पश्चिमी सीमा के साथ जाती है फिर यह निर्देशांक उ 11° 54'15", पू 77° 1' 31" बिंदु के साथ पहुँचती है। इसके बाद रेखा कुम्बेशवरा कॉलोनी और मल्लेदेवानाहल्ली ग्रामों के उत्तरी भाग के साथ जाती है फिर यह चमराजनगर तालुका के मल्लेदेवानाहल्ली और होन्दराबलु ग्रामों के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है । इस बिंदु से रेखा होन्दराबलु ग्राम की पूर्वी सीमा के साथ उत्तर की ओर जाती है फिर यह जी.पी.एस. निर्देशांक उ 11° 55' 29", पू 77° 4'51" के होन्दराबलु और ज्योतिगोवदानापुरा के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है । इसके बाद रेखा

	ज्योतिगोवदानापुरा ग्राम से होते हुए उद्यान सीमा से 1 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है फिर यह जी.पी.एस. निर्देशांक उ 11° 56' 23", पू 77° 5'24" के ज्योतिगोवदानापुरा और मेलमाला के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा मेलमाला ग्राम के दक्षिणी भाग के साथ पुनः जाती है, इसके अतिरिक्त चामराजनगर तालुक के मेलमाला ग्राम की उत्तर-पश्चिमी सीमा से होते हुए जाती है फिर यह निर्देशांक उ 11° 57'56", पू 77° 5' 22" बिंदु के साथ पहुँचती है । इस बिंदु से, रेखा मेलमाला और थिमेगोवदानापलया ग्रामों उत्तरी भाग और पूर्वी भाग के साथ उत्तर दिशा की ओर जाती है फिर यह येलनदूर तालुक के येरागम्बली और चमराजनगर तालुक के थिमेगोवदानापलया के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा वन सीमा से 1 किलोमीटर और उत्तर की ओर जाती है फिर यह गुमबली और येरागम्बली के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है । इसके बाद पुनः रेखा वन सीमा से 1 किलोमीटर जाती है फिर यह येलनदूर तालुक के गुमबली और येदागेरे के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है । इसके बाद रेखा गुमबली ग्राम की उत्तर पश्चिमी सीमा के साथ पश्चिम दिशा की ओर जाती है फिर यह येलनदूर तालुक के गुमबली और वदागेरे ग्रामों के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है । इसके बाद रेखा वदागेरे ग्राम सीमा के पश्चिमी भाग के साथ जाती है फिर यह निर्देशांक उ 12° 3' 1", पू 77° 4' 17" बिंदु के साथ पहुँचती है । इसके अतिरिक्त रेखा वदागेरे ग्राम के उत्तरी भाग के साथ जाती है फिर यह वदागेरे और गोवदाहल्ली ग्रामों के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा गोवदाहल्ली और मलारपलया ग्रामों के साथ उत्तर दिशा की ओर पुनः जाती है फिर यह निर्देशांक उ 12° 3' 46" पू 77°4' 50" बिंदु के साथ पहुँचती है । इस बिंदु से सीमा रेखा येलनदूर तालुक के मलारपलया, देवराहल्ली और शिवाकाहल्ली ग्रामों की बाहरी पूर्वी सीमा के साथ जाती है, फिर यह निर्देशांक उ 12° 5' 33", पू 77° 4' 33" शिवाकाहल्ली ग्राम के पूर्वी मुख्य छोर पहुँचती है। इसके बाद रेखा शिवाकाहल्ली ग्रामों के पूर्वी और उत्तरी भाग के साथ जाती है फिर यह कोलेगल तालुक के सुरापुरा और येरेपलया ग्राम और येलनदूर तालुक के शिवाकाहल्ली के त्रि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा कोलेगल तालुक के सुरपुरा ग्राम की पूर्वी सीमा के साथ उत्तर दिशा की ओर जाती है और निर्देशांक उ 12° 5' 30", पू 77° 6' o" से होते हुए कोलेगल तालुक के थिम्माराजापुरा के मदुमलागुड्डा राजस्व वन के दक्षिण पश्चिमी छोर पहुँचती है । इसके बाद आखिरकार इस बिंदु से, रेखा उत्तर पूर्वी बिंदु निर्देशांक उ 12°7'28", पू 77°6'5" के साथ थिम्माराजापुरा ग्राम के मदुमलागुड्डा राजस्व वन की पूर्वी सीमा के साथ उत्तर दिशा की ओर जाती है (आरंभिक बिंदु) ।

उपाबंध-IIक

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ बिलिगिरिरंगास्वामी मंदिर बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र

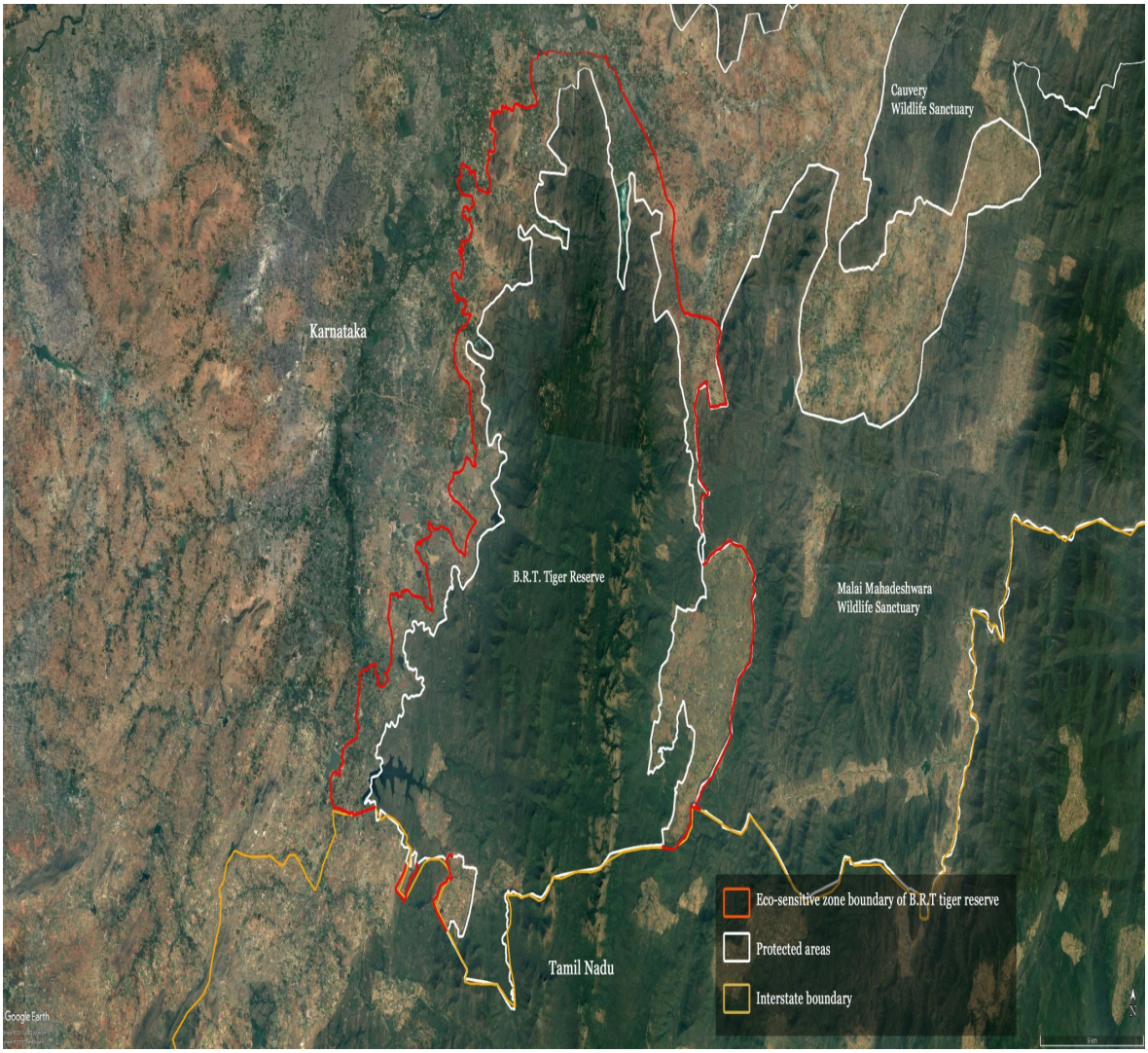

उपाबंध-IIख

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) की टोपोशीट पर बिलिगिरिरंगास्वामी मंदिर बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी का मानचित्र

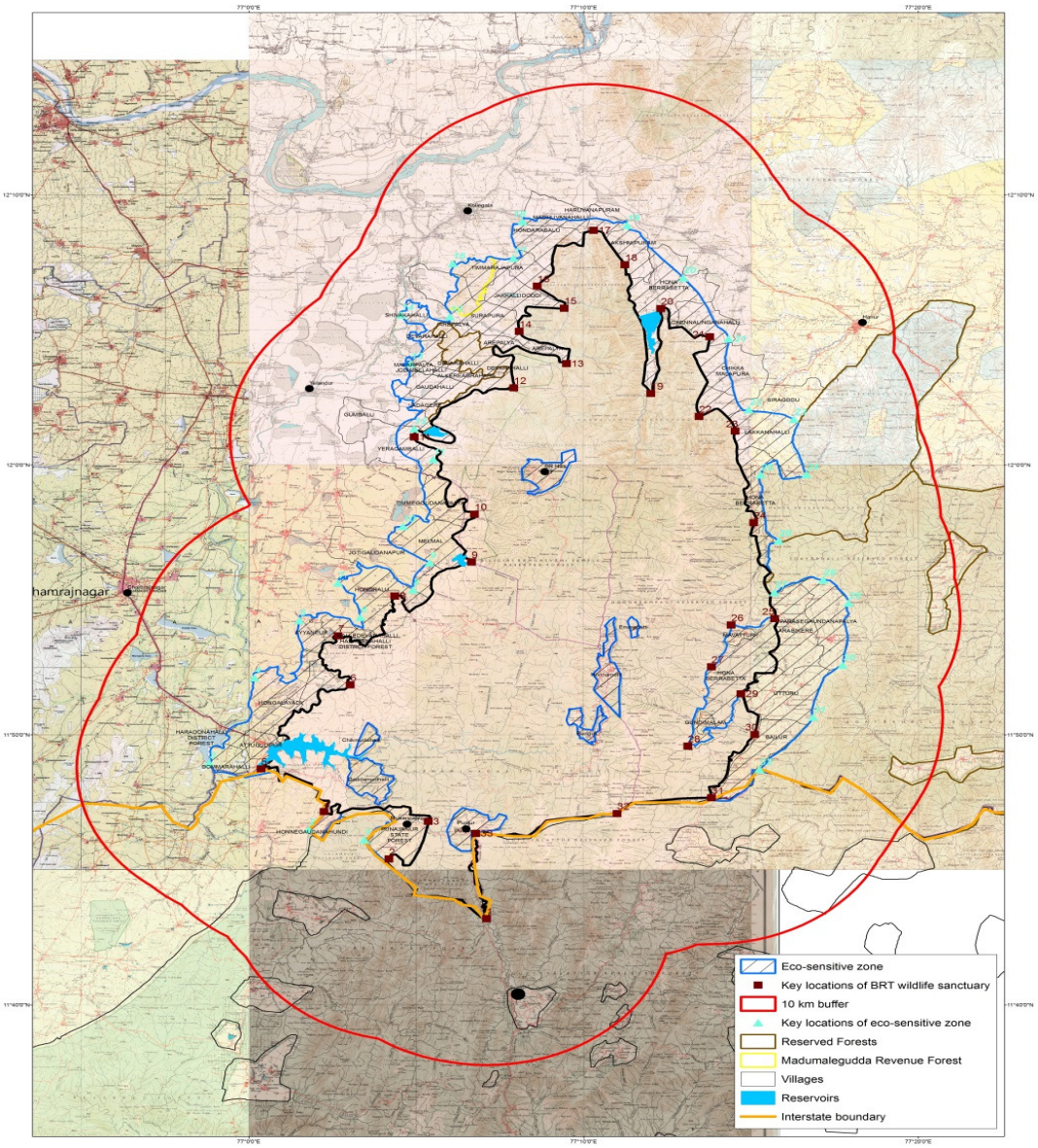

उपाबंध-IIग

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ बिलिगिरिरंगास्वामी मंदिर बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी का मानचित्र

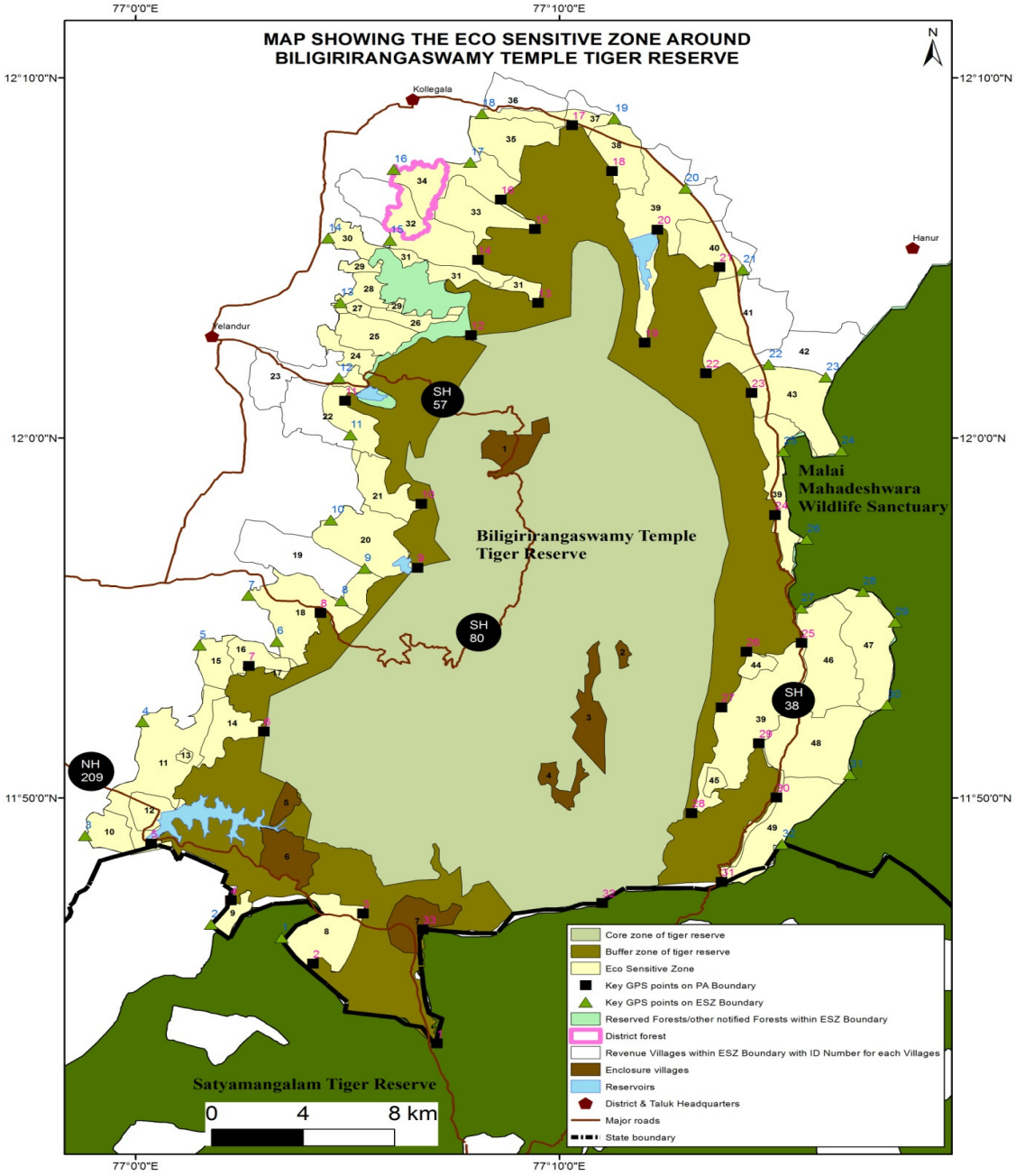

उपाबंध-III

सारणी क: बिलिगिरिरंगास्वामी मंदिर बाघ रिज़र्व के प्रमुख स्थानों के भू-निर्देशांक

बिंदु सं	अक्षांश (पू)	देशांतर (उ)
1	11° 43' 11"	77° 7' 6"
2	11° 45' 24"	77° 4' 11"
3	11° 46' 48"	77° 5' 22"
4	11° 47' 9"	77° 2' 15"
5	11° 48' 44"	77° 0' 22"
6	11° 51' 51"	77° 3' 2"
7	11° 53' 40"	77° 2' 40"
8	11° 55' 9"	77° 4' 22"
9	11° 56' 24"	77° 6' 39"
10	11° 58' 10"	77° 6' 44"
11	12° 1' 2"	77° 4' 56"
12	12° 2' 51"	77° 7' 55"
13	12° 3' 45"	77° 9' 29"
14	12° 4' 57"	77° 8' 4"
15	12° 5' 48"	77° 9' 25"
16	12° 6' 37"	77° 8' 37"
17	12° 8' 41"	77° 10' 18"
18	12° 7' 25"	77° 11' 14"
19	12° 2' 39"	77° 12' 1"
20	12° 5' 47"	77° 12' 18"
21	12° 4' 45"	77° 13' 46"
22	12° 1' 48"	77° 13' 27"
23	12° 1' 15"	77° 14' 32"
24	11° 57' 52"	77° 15' 5"
25	11° 54' 18"	77° 15' 42"
26	11° 54' 4"	77° 14' 24"
27	11° 52' 31"	77° 13' 49"
28	11° 49' 35"	77° 13' 7"
29	11° 51' 31"	77° 14' 42"
30	11° 50' 1"	77° 15' 7"
31	11° 47' 40"	77° 13' 49"
32	11° 47' 5"	77° 11' 0"
33	11° 46' 21"	77° 6' 46"

सारणी : पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख स्थानों के भू-निर्देशांक

बिंदु सं	अक्षांश (पू)	देशांतर (उ)
1	11° 46' 7"	77° 3' 27"
2	11° 46' 30"	77° 1' 47"
3	11° 48' 57"	76° 58' 49"
4	11° 52' 7"	77° 0' 10"
5	11° 54' 15"	77° 1' 31"
6	11° 54' 21"	77° 3' 20"
7	11° 55' 38"	77° 2' 40"
8	11° 55' 29"	77° 4' 51"
9	11° 56' 23"	77° 5' 24"
10	11° 57' 43"	77° 4' 36"
11	12° 0' 5"	77° 5' 4"
12	12° 1' 40"	77° 4' 48"
13	12° 3' 46"	77° 4' 50"
14	12° 5' 33"	77° 4' 33"
15	12° 5' 30"	77° 6' 0"
16	12° 7' 28"	77° 6' 5"
17	12° 7' 40"	77° 7' 54"
18	12° 9' 1"	77° 8' 10"
19	12° 8' 52"	77° 11' 18"
20	12° 6' 56"	77° 12' 59"
21	12° 4' 41"	77° 14' 20"
22	12° 2' 3"	77° 14' 56"
23	12° 1' 41"	77° 16' 17"
24	11° 59' 39"	77° 16' 39"
25	11° 59' 38"	77° 15' 17"
26	11° 57' 11"	77° 15' 50"
27	11° 55' 17"	77° 15' 42"
28	11° 55' 44"	77° 17' 9"
29	11° 54' 53"	77° 17' 55"
30	11° 52' 35"	77° 17' 44"
31	11° 50' 39"	77° 16' 51"
32	11° 48' 43"	77° 15' 15"

उपाबंध IV

भू-निर्देशांक के साथ बिलिगिरिरंगास्वामी मंदिर बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

बिंदु सं.	ग्राम का नाम	तालुका	जिला	क्षेत्र हेक्टयर में	अक्षांश	देशांतर	टिप्पणी डिग्री
1	बिलिगिरि रंगानाथा मन्दिर	येलनदूर	चामराजनगर	441.891	11° 59' 50"	77° 9' 29"	* संपूर्ण ग्राम
2	इम्मेहट्टी	कोलेगल	चामराजनगर	55.9225	11° 54' 3"	77° 11' 38"	संपूर्ण ग्राम
3	होन्नामेट्टी	कोलेगल	चामराजनगर	493.63	11° 52' 12"	77° 11' 6"	संपूर्ण ग्राम
4	बेदगुली	चामराजनगर	चामराजनगर	212.177	11° 50' 39"	77° 9' 57"	संपूर्ण ग्राम
5	चिकमुडाहल्ली	चामराजनगर	चामराजनगर	149.674	11° 49' 58"	77° 3' 55"	संपूर्ण ग्राम
6	डोड्डामुधाहल्ली	चामराजनगर	चामराजनगर	494.952	11° 48' 34"	77° 3' 56"	संपूर्ण ग्राम
7	पुनजुर	चामराजनगर	चामराजनगर	499.589	11° 46' 22"	77° 6' 39"	संपूर्ण ग्राम
8	पुनजनुर राज्य वन	चामराजनगर	चामराजनगर	843.949	11° 45' 10"	77° 4' 45"	संपूर्ण ग्राम
9	होन्नेगौदानाहुन्दी	चामराजनगर	चामराजनगर	166.891	11° 46' 17"	77° 1' 57"	संपूर्ण ग्राम
10	ब्रोम्माराहल्ली	चामराजनगर	चामराजनगर	336.021	11° 49' 8"	76° 58' 51"	संपूर्ण ग्राम
11	हरदोनाहल्ली जिला वन	चामराजनगर	चामराजनगर	1401.25	11° 50' 60"	77° 0' 2"	संपूर्ण ग्राम
12	अट्टुगुलिपुर	चामराजनगर	चामराजनगर	279.138	11° 49' 46"	76° 59' 50"	संपूर्ण ग्राम
13	होन्गालायादी	चामराजनगर	चामराजनगर	35.8129	11° 51' 14"	77° 0' 59"	संपूर्ण ग्राम
14	कुम्बेश्वरा कॉलोनी	चामराजनगर	चामराजनगर	458.19	11° 52' 9"	77° 1' 49"	संपूर्ण ग्राम
15	अय्यानपुरा	चामराजनगर	चामराजनगर	325.893	11° 53' 47"	77° 1' 25"	संपूर्ण ग्राम
16	मल्लेदेवानाहल्ली	चामराजनगर	चामराजनगर	301.669	11° 54' 21"	77° 2' 50"	संपूर्ण ग्राम
17	हरदानहल्ली जिलावन	चामराजनगर	चामराजनगर	38.8297	11° 53' 32"	77° 3' 22"	संपूर्ण ग्राम
18	होन्दरालु	चामराजनगर	चामराजनगर	1057.43	11° 55' 41"	77° 2' 39"	संपूर्ण ग्राम
19	ज्योतिगोवदानापुर	चामराजनगर	चामराजनगर	212.95	11° 55' 54"	77° 4' 58"	1 किलोमीटर
20	मेलमाल	चामराजनगर	चामराजनगर	982.64	11° 57' 15"	77° 4' 9"	सीमा संपूर्ण ग्राम
21	थिम्मेगोवदानापलया	चामराजनगर	चामराजनगर	498.752	11° 58' 42"	77° 5' 14"	संपूर्ण ग्राम
22	येरागम्बल्ली	येलनदूर	चामराजनगर	453.593	12° 0' 44"	77° 4' 25"	1 किलोमीटर

23	गुमबाल्ली	येलनदूर	चामराजनगर	108.567	12° 1' 42"	77° 4' 54"	1 किलोमीटर
24	वडागेरे	येलनदूर	चामराजनगर	245.268	12° 2' 45"	77° 4' 20"	संपूर्ण ग्राम
25	गोउदाहल्ली	येलनदूर	चामराजनगर	490.196	12° 3' 12"	77° 4' 45"	संपूर्ण ग्राम
26	अल्कैरैगराहारा	येलनदूर	चामराजनगर	205.254	12° 3' 30"	77° 5' 31"	संपूर्ण ग्राम
27	जोदीमेल्लाहल्ली	येलनदूर	चामराजनगर	68.162	12° 3' 43"	77° 4' 58"	संपूर्ण ग्राम
28	मालारपलया	येलनदूर	चामराजनगर	256.832	12° 4' 13"	77° 5' 9"	संपूर्ण ग्राम
29	देवराहल्ली	येलनदूर	चामराजनगर	93.5211	12° 4' 50"	77° 4' 47"	संपूर्ण ग्राम
30	शिवाकाहल्ली	येलनदूर	चामराजनगर	232.861	12° 5' 44"	77° 4' 43"	संपूर्ण ग्राम
31	अरेपलया	कोलेगल	चामराजनगर	75.4656	12° 5' 15"	77° 6' 10"	संपूर्ण ग्राम
32	सुरपुरा	कोलेगल	चामराजनगर	952.734	12° 6' 8"	77° 5' 56"	मदुमालेगुड्डा की पश्चिमी सीमा
33	जक्काल्लीदोद्दी	कोलेगल	चामराजनगर	672.347	12° 6' 40"	77° 7' 18"	संपूर्ण ग्राम
34	थिम्माराजापुरा	कोलेगल	चामराजनगर	845.367	12° 7' 34"	77° 7' 4"	संपूर्ण ग्राम
35	होन्दराबालु	कोलेगल	चामराजनगर	698.986	12° 8' 39"	77° 7' 52"	संपूर्ण ग्राम
36	मधुवनहाल्ली	कोलेगल	चामराजनगर	189.245	12° 9' 5"	77° 9' 19"	संपूर्ण ग्राम
37	हरूवानपुरम	कोलेगल	चामराजनगर	158.596	12° 8' 58"	77° 10' 53"	संपूर्ण ग्राम
38	लक्ष्मीपुरम	कोलेगल	चामराजनगर	558.412	12° 8' 22"	77° 11' 48"	संपूर्ण ग्राम
39	होना बेररबेट्टा	कोलेगल	चामराजनगर	3690.62	11° 52' 26"	77° 15' 44"	कोलेगल-हसनूर ग्राम तक घाट रोड
40	चेन्नालुंगानाहल्ली	कोलेगल	चामराजनगर	493.925	12° 5' 10"	77° 13' 58"	
41	चिक्का मालापुरा	कोलेगल	चामराजनगर	446.874	12° 3' 25"	77° 14' 18"	
42	सिरागोडु	कोलेगल	चामराजनगर	319.625	12° 2' 19"	77° 14' 35"	
43	लोक्कानाहल्ली	कोलेगल	चामराजनगर	1077.19	12° 0' 49"	77° 16' 15"	संपूर्ण ग्राम
44	मवाथुर	कोलेगल	चामराजनगर	140.497	11° 53' 31"	77° 15' 1"	संपूर्ण ग्राम
45	गुंदीमाला	कोलेगल	चामराजनगर	93.7811	11° 50' 21"	77° 13' 57"	संपूर्ण ग्राम
46	अराबिकेरे	कोलेगल	चामराजनगर	1178.13	11° 54' 12"	77° 16' 53"	संपूर्ण ग्राम
47	पैरासेगोवदानापलया	कोलेगल	चामराजनगर	1013.25	11° 54' 30"	77° 17' 56"	संपूर्ण ग्राम

48	उट्टुरू	कोलेगल	चामराजनगर	1240.9	11° 51' 21"	77° 16' 56"	संपूर्ण ग्राम
49	बैलूर	कोलेगल	चामराजनगर	956.112	11° 49' 17"	77° 15' 34"	संपूर्ण ग्राम
			कुल:	**26243.56**			

**बिलिगिरिरंगास्वामी मंदिर और कुछ सरकारी विभागों को दी गई भूमि को भविष्य के विकास के लिए ध्वनि पर्यावरण अनुकूल मानदंडों के साथ अनुमति दी जाएगी।*

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान.-

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2019

S.O. 4152(E).—WHEREAS, a draft re-notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 4889(E), dated the 18th September, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 19th September, 2018;

AND WHEREAS, objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification were duly considered in the Ministry;

AND WHEREAS, the Biligirirangaswamy Temple Wildlife Sanctuary (BRT) was declared as a Tiger Reserve with an extent of 574.82 square kilometer *vide* notification of the State Government of Karnataka No. FEE 133 FWL 2008 dated the 24th January, 2011;

AND WHEREAS, the Biligirirangaswamy Temple Tiger Reserve is situated in Chamrajanagar District (Kollegal, Yelandur and Chamrajanagar Talukas) of Karnataka State and lies between the 11°43' N and 12° 08' N Latitudes and between the 77° 00'E and 77°16' E Longitudes;

AND WHEREAS, the Tiger Reserve harbors major fauna including tiger, elephant, guar, leopard, sambar, spotted deer, barking deer, four horned antelope, sloth bear, wild dogs, mouse deer etc;

AND WHEREAS, the Biligirirangaswamy Temple Tiger Reserve is a part of the Nilgiri Biosphere Reserve and the Mysore Elephant Reserve declared by Project Elephant, Government of India. The entire protected area along with adjoining areas of Sathyamangala Division, Madumalai Protected Area, Kollegal Division, and Cauvery Wildlife Division forms a unique patch of forests which acts as a bridge between Western Ghats and Eastern Ghats. The protected area has a variety of vegetation ranging from dry scrub jungle to evergreen forests and shrub savannas and high altitude grasslands;

AND WHEREAS, the Tiger Reserve is contiguous with Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary of Karnataka State. In Tamil Nadu, it is connected to Talamalai Reserved Forest, Gutti-Yelattur Reserved Forest and other areas forming one of the largest contiguous wildlife habitats in the country. Through the reserved forests in the adjoining state of Tamil Nadu, there is connectivity to Mudumalai and Bandipur Tiger Reserves and further to Nagarahole National Park. Biligirirangaswamy Temple Tiger Reserve is known to hold approximately about 35-50 tigers;

AND WHEREAS, this protected area acts as an important catchment area for Gundal and Suvarnavathi rivers that are major tributaries of River Cauvery. The protected area also acts as an important catchment area for Gowdahalli, Krishnaianakatte, KK dam and Bellattha reservoirs;

AND WHEREAS, about 28 species of mammals, 274 species of birds, 14 species of amphibians, 23 species of reptiles, 1350 species of flora, 145 species of butterflies, more than 886 species of medicinal plants and around 25 species of orchids are reported from the Tiger Reserve;

AND WHEREAS, Biligirirangaswamy Temple Tiger Reserve forms part of the Nilgiri Biosphere Reserve (~5500 sq km). Entire protected area along with adjoining areas of Sathyamangala Division, Madumalai Protected Area, Malai Mahadeshwara and Cauvery Wildlife Divisions forms a unique chunk of Bio-geographical zone which acts as a bridge between Western Ghats and Eastern Ghats. B.R.T. Wildlife Sanctuary with great variety of vegetation right from dry scrub jungle to evergreen forests and shrub savannas and high altitude grasslands is very unique and deserve a place to be conserved as "National Heritage". The vegetation comprises of *Anogeissus latifolia*, *Dalbergia paniculata*, *Baswellia serrata*, *Commiphora caudate, Acacia chundra, Diospyros melanoxylon, Elaeocarpus tuberculatus, Syzygium malabaricum, Schefflera capitata*, *Cucurma neilgherrensis* etc;

AND WHEREAS, rare, endangered and threatened (RET) species of flora found in Biligirirangaswamy Temple Tiger Reserved are Kaggali (*Acacia catechu),* Dindiga (Anogeissius latifolia), Muttuga (*Butea monosperma*), Urugalu (*Choleoxylon Swictenia*), Beete (*Dalbergia latifolia*), Kamara (*Hardiwiekea binata*), Honne (*Pterocarpus marsupium*), Shrigandha (*Santalum album*), Sagade (*Schleichera oleosa*), Matti (*Terminalia tomentosa*), Tare (*Terminalia bellerica*), Hale, Halgouri (*Wrightia tinctoria*), Jalari (*Shorea)* etc;

AND WHEREAS, rare, endangered and threatened (RET) species of mammals & reptiles found in Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary are Indian wild dog or dhole (*Cuon alpines*), golden jackal (*Canis aureus*), striped hyaena (*Hyaena hyaena*), sloth bear (*Melursus ursinus*), jungle cat (*Felis chaus*), rusty-spotted cat (*Prionailurus rubiginosus*), smooth-coated otter (*Lutrogale perspicillata*), oriental small-clawed otter (*Aonyx cinerea),* common otter (*Lutra lutra*), honey badger (*Mellivora capensis*), Indian porcupine (*Hystrix indica*), Indian pangolin (*Manis crassicaudata*), small Indian civet (*Viverricula indica*), common palm civet (*Paradoxurus hermaphrodites*), ruddy mangoose (*Herpestes smithii*), stripe-necked mongoose (*Herpestes vitticolis*), grey mongoose (*Herpestes edwardsii*), Asian elephant (*Elephas maximus*), gaur (*Bos gaurus*), sambar (*Rusa unicolor*), chital (*Axis axis*), four horned antelope (*Tetracerus quadricornis*), blackbuck (*Antilope cervicapra*), wild pig (Sus scrofa), Indian muntjac (Muntiacus muntjak), Indian spotted chevrotain (*Moschiola indica*), southern plains gray langur (*Semnopithecus dussumieri*), bonnet macaque (*Macaca radiata*), black-naped hare (*Lepus nigricollis*), grizzled giant squirrel (*Ratufa macroura*), Indian giant flying squirrel (*Petaurista philippensis*), Madras tree shrew (*Anathana ellioti*), marsh crocodile (*Crocodylus palustris*), Indian monitor lizard (*Varanus bengalensis*), Deccan mahseer (*Tor khudree*), Indian fox (*Vulpes bengalensis*), brown mongoose (*Herpestes sp*) etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Biligirirangaswamy Temple Tiger Reserve which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological,

environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0.50 kilometre to 6.00 kilometres around the boundary of Biligirirangaswamy Temple Tiger Reserve, in Chamrajanagar districts in the State of Karnataka as the Biligirirangaswamy Temple Tiger Reserve Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –** (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0.50 kilometre to 6.00 kilometres around the boundary of Biligirirangaswamy Temple Tiger Reserve and the area of the Eco-sensitive Zone is 262.43 square kilometres (including revenue/enclosure villages and notified forest areas).

   (2) The boundary description of Biligirirangaswamy Temple Tiger Reserve and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

   (3) The maps of the Biligirirangaswamy Temple Tiger Reserve demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB** and **Annexure-IIC**.

   (4) Lists of geo-coordinates of the boundary of Biligirirangaswamy Temple Tiger Reserve and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**

   (5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.

   (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

   (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

   (i) Environment;
   (ii) Forest and Wildlife;
   (iii) Agriculture;
   (iv) Revenue;
   (v) Urban Development;
   (vi) Tourism;
   (vii) Rural Development ;
   (viii) Irrigation and Flood Control;
   (ix) Municipal;
   (x) Panjayati Raj;
   (xi) Public Works Department;
   (xii) Highways; and
   (xiii) Karnataka State Pollution Control Board.

   (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

   (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

   (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

   (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-Sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) New construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under.-

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio Medical Waste Management shall be as under.-

(a) The Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) Safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under.-

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) Construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
6.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
7.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.

B. Regulated Activities		
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
10.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
12.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
13.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
14.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
15.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
16.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
17.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.

18.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
19.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
20.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
22.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
23.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
27.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
	C. Promoted Activities	
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S N	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	Regional Commissioner, Mysuru	Chairman, ex officio;
2.	Member of Legislative Assembly (MLA), Chamarajanagar Constituency	Member;
3.	Member of Legislative Assembly (MLA), Kollegala Constituency *(Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals inter alia including permission from the speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required)*	Member;
4.	Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka	Member;
5.	Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka	Member;
6.	Representative of Non-Governmental Organizations working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the State Government	Member;
7.	The Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board, Chamarajanagar	Member;
8.	One expert in ecology from reputed institution or university of the state of Karnataka to be nominated by the State Government	Member;
9.	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
10.	A representative from State Public Works Department	Member;
11.	A representative from State Pollution Control Board	Member;
12.	Deputy Commissioner or his representative, Chamarajanagar	Member;
13.	Administrative head of Chamarajanagar Wildlife Division	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at **Annexure V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/19/2016-ESZ-RE]

DR. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF BILIGIRIRANGASWAMY TEMPLE TIGER RESERVE AND ITS ECOSENSITIVE ZONE IN THE STATE KARNATAKA

North	The boundary line starts from a north eastern point on Madumalegudda Reserved Forest on Thimmarajapura village boundary of Kollegaltaluk with co-ordinates N 12^0 7' 28", E 77^0 6' 5" and then passes all along the northern part of Madumalegudda Revenue Forest until it reaches the northern tip of Madumalegudda Revenue Forest on Thimmarajapura village boundary. From this point the line runs eastwards along Thimmarajapura village boundary till it reaches the co-ordinates N 12^0 7' 40", E 77^0 7' 54". Then the line runs along the Thimmarajapura village boundary till it reaches the bi-junction point of Thimmarajapura and Hondarabalu villages. Then the line continues along the Western boundary of Hondarabalu village until it reaches the north-western tip of Hondarabalu village of Kollegal taluk. Further, the line runs eastwards for some distance along Hondarabalu village till it reaches bi-junction point of Hondarabalu and Madhuvanahalli villages with co-ordinates N 12^0 9' 1", E 77^0 8' 10". Then the line continues in northern direction along Madhuvanahalli village of Kollegal taluk till it reaches a point on the Dodda Ranganachanakere channel and further the line runs eastwards along the Dodda Ranganachanakere channel through Madhuvanahalli gramathana and further runs eastwards along the said channel it reaches a point on the road leading to Kongarahalli village on Haravanapura village boundary. From this point the line descends downwards along Haravanapura village until it reaches bi-junction point of Haravanapura and Lakshmipuram villages of Kollegal taluk with co-ordinates N 12^0 8' 52", E 77^0 11' 18". Then the line continues and descends down along outer boundary of Lakshmipuram village till it reaches a bi-junction point on Lakshmipuram and Hona Berrabetta village of Kollegal taluk on a point Kollegal – Hasanur Road (SH-38).
East	From the above point on Kollegal-Hasanur road (SH-38) the line descends down and runs along the Kollegal-Hasanur road through Hona Berrabetta village until it reaches a point with co-ordinates N 12^0 6' 56", E 77^0 12' 59" on the said road. Then the line runs in south-eastward direction along the same road through Hona Berrabetta and Chennalinganahalli villages of Kollegal taluk until it reaches a point with co-ordinates N 12^0 4' 50", E 77^0 14' 7" on the same road. Then the line runs south wards along the Kollegal – Hasanur road through Chikka Malapura and Siragodu villages of Kollegal taluk till it reaches a point with co-ordinates N 12^0 2' 3", E 77^0 14' 56" on the said road. From this point the line runs eastwards along the northern part of Lokkanahalli village of Kollegal taluk till it reaches a point with co-ordinates N 12^0 2' 3", E 77^0 16' 17" on common village boundary of Lokkanahalli and Siragodu villages. Then the line runs along common village boundary of Lokkanahalli and Siragodu villages till it touches a point on Hanur Reserved Forest (included in Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary). Further the line runs along the common boundary of Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary and eastern part of Lokkanahalli village till it reaches the south-eastern tip of Lokkanahalli village with co-ordinates N 11^0 59' 39", E 77^0 16' 39". Then the line runs westwards along the southern boundary of Lokkanahalli village till the south-western tip of Lokkanahalli village and further runs northwards

	along common village boundary of Lokkanahalli and Hona Berrabetta villages, till it reaches the bi-junction point of the said villages. Then the line runs westwards along Hona Berrabetta village boundary and further descends down southwards on eastern part of the village boundary along Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary (Hanur Reserve Forest) till it reaches a point with co-ordinate N 11^0 59' 38", E 77^0 15' 17". Then the line runs southwards along the eastern boundary of Hona Berrabetta village and along Hanur Reserve Forest boundary till it reaches the tri-junction point of eastern tip of Hona Berrabetta village, Hanur Reserve Forest, Edayarahalli Reserve Forest with co-ordinates N 11^0 57' 11", E 77^0 15' 50". From this point the line further runs southwards along eastern boundary of Hona Berrabetta village, which happens to be Edayarahalli Reserve Forest boundary [included in Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary] till it reaches a point on Kollegal-Hasanur road and further line runs along the said road, which happens to be common boundary of BRT Wildlife Sanctuary and Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary till it reaches north-western corner of Arabigerevillage of Kollegal taluk. Thenthe boundary line passes along the northern part of Arabigere and Parasegowdanapalya villages of Kollegal taluk through the co-ordinates N 11^0 55' 17", E 77^0 15' 42" and N 11^0 55' 44", E 77^0 17' 9" of respective villages on Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary boundary. Further, the line descends down along the eastern part of Parasegowdanapalya, Huthur and Bylur villages of Kollegal taluk through the co-ordinates N 11^0 54' 53", E 77^0 17' 55", N 11^0 52' 35", E 77^0 17' 44", N 11^0 50' 39", E 77^0 16' 51" and N 11^0 48' 43", E 75^0 15' 15" on the western boundary of Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary.
South	From the above point with co-ordinate N 11^0 48' 43", E 75^0 15' 15" the boundary runs westwards along the inter-state boundary of Karnataka and Tamilnadu, encompasses Punjur village of Kollegal taluk, Mukanapalya and Honnegaudanahundi villages of Chamarajanagar taluk and passes through co-ordinates N 11^0 46' 30", E 77^0 1' 47" and N 11^0 46' 30", E 77^0 3' 27" until it reaches a bi-junction point of Haradanahalli District Forest (village) and Bommanahalli villages of Chamarajanagar District. The southern portion of the entire B.R.T Wildlife Sanctuary forms interstate boundary between Karnataka & Tamilnadu States. Hence, the Tamilnadu Forests Department authority has been requested to maintain eco-sensitive zone as per the Ministry of Environment and Forests, New Delhi directions / guidelines vide letter no. 1-9/2007 WL-(Pt) dated: 16-12-2013. Further, all enclosures within the Reserve Forests namely, Chamarajanagar State Forest, BRT Reserve Forest, Doddasampige Reserve Forest, BRT Extension Forest and Section-4 Notified areas forming B.R.T Wildlife Sanctuary are included as eco-sensitive zone to maintain the ecological integrity of the Sanctuary / Reserve.
West	From the above bi-junction point the line runs along the southern boundary of Bommanahalli village and further continues northwards along eastern boundary of Bommanahalli village till it reaches a point with co-ordinate N 11^0 48' 57", E 76^0 58' 49". Then the line runs along the eastern and northern part of Bommanahalli village until it reaches the northern tip of Bommanahalli village and the bi-junction point of Bommanahalli and Haradanahalli District Forest (village) and further runs along the western part of Haradanahalli District Forest (village) boundary till it reaches the point with co-ordinate N 11^0 52' 7", E 77^0 0' 10". Then the line continues along the northern part of Haradanahalli District Forest (village) boundary till it reaches the bi-junction point of Haradanahalli and Kumbeshwara colony villages. From this point the boundary runs along the western boundary of Kumbeshwara colony of Chamarajanagar taluk till it reaches a point with co-ordinate N11^0 54' 15", E 77^0 1' 31". Then the line proceeds along the northern part of Kumbeshwara colony and Malledevanahalli villages till it reaches the bi-junction point of Malledevanahalli and Hondarabalu villages of Chamarajanagar taluk. From this point the line passes northwards along eastern boundary of Hondarabalu village till it reaches the bi-junction point of Hondarabalu and Jyotigowdanapura at GPS co-ordinates N 11° 55' 29", E 77° 4' 51". Then the line runs one kilometer away from park boundary through the Joytigowdanapura village towards north till it reaches bi-junction point of Jyotigowdanapura and Melmala at the GPS co-ordinates N 11° 56' 23", E 77° 5' 24. Then the line continues along the southern part of Melmala village, further the line passes along the north-western boundary of Melmala village of

	Chamarajanagar taluk till it reaches a point with co-ordinate N 11^0 57' 56", E 77^0 5' 22". From this point, the line passes northward direction along northern part and eastern part of Melmala and Thimmegowdanapalya villages till it reaches the bi-junction point of Thimmegowdanapalya of Chamarajanagar taluk and Yeragamballi of Yelandur taluk. Then the line runs one kilometer away from the forest boundary and runs toward north till it reaches bi-junction point of Gumballi and Yeragamballi. Then again line runs one kilometer away from the forest boundary till it reaches bi-junction point of Gumballi and Yedagere of Yalandur taluk. Then the line proceeds in westward direction along the north-western boundary of Gumballi village till it reaches the bi-junction point of Gumballi and Vadagere villages of Yelandur taluk. Then the line runs along western part of Vadagere village boundary until it reaches a point with co-ordinates N12^0 3' 1", E 77^0 4' 17". Further the line passes along the northern part of Vadagere village till it reaches bi-junction point of Vadagere and Gowdahalli villages. Then the line continues in northward direction along Gowdahalli and Malarpalya villages till it reaches point with co-ordinates N12^0 3' 46", E 77^0 4' 50". From this point the boundary line runs along the outer eastern boundary of Malarpalya, Devarahalli and Shivakahalli villages of Yelandur taluk, till it reaches the eastern most tip of Shivakahalli village with co-ordinates N12^0 5' 33", E 77^0 4' 33". Then the line runs along eastern and northern part of Shivakahalli villages till it reaches a tri-junction point of Shivakahalli of Yelandur taluk and Arepalya and Surapura villages of Kollegal taluk. Then the line proceeds in northward direction along eastern boundary of Surapura village of Kollegal taluk and passes through co-ordinates N12^0 5' 30", E 77^0 6' 0" to reach the south-western tip of Madumalegudda Revenue Forest of Thimmarajapura of Kollegal taluk. Then finally from this point, the line runs in northward direction along eastern boundary of Madumalegudda Revenue Forest of Thimmarajapura village to the north-eastern point with co-ordinates N12^0 7' 28", E 77^0 6' 5" (starting point).

ANNEXURE-IIA

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BILIGIRIRANGASWAMY TEMPLE TIGER RESERVE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

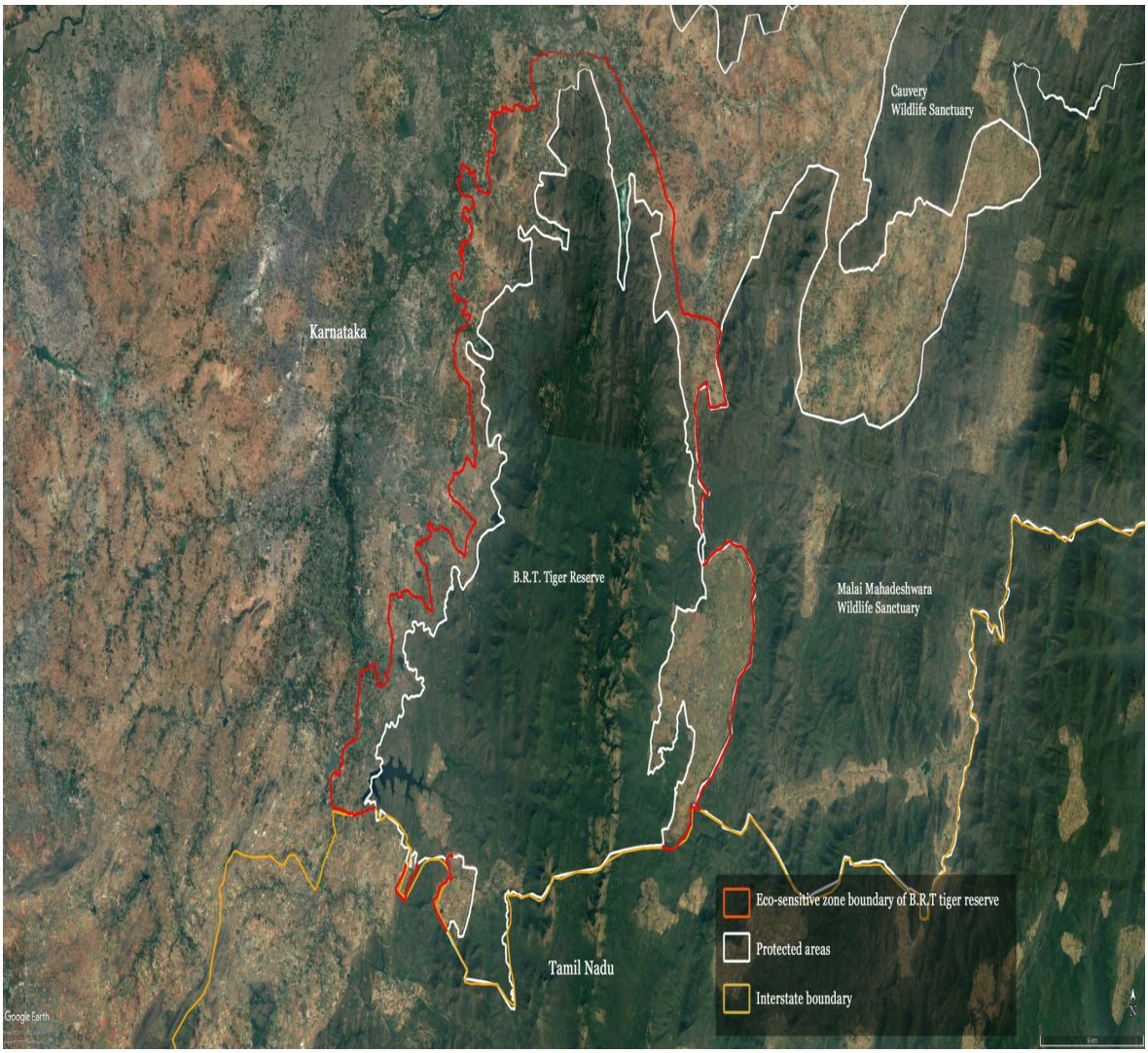

ANNEXURE-IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BILIGIRIRANGASWAMY TEMPLE TIGER RESERVE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

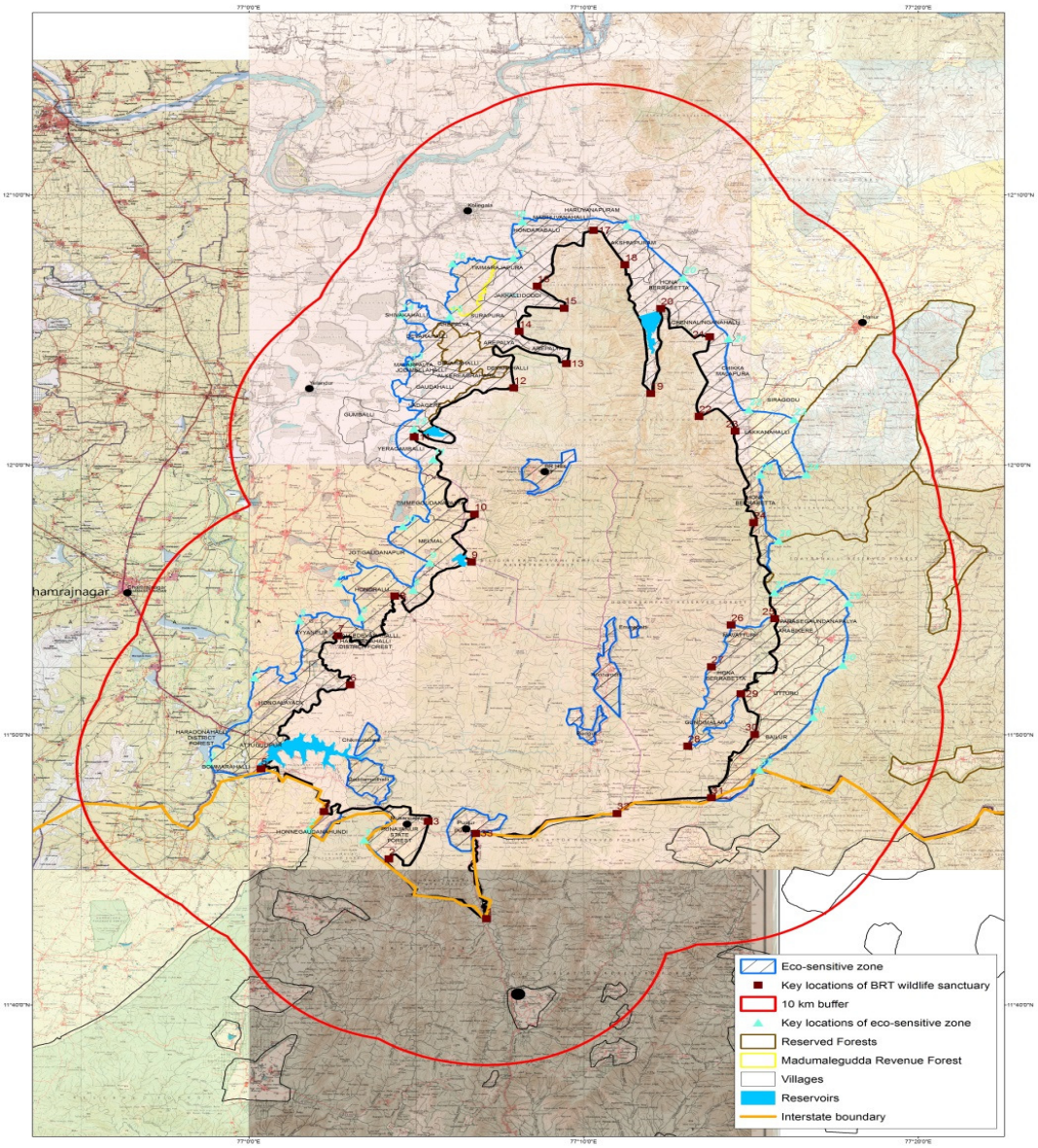

ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BILIGIRIRANGASWAMY TEMPLE TIGER RESERVE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

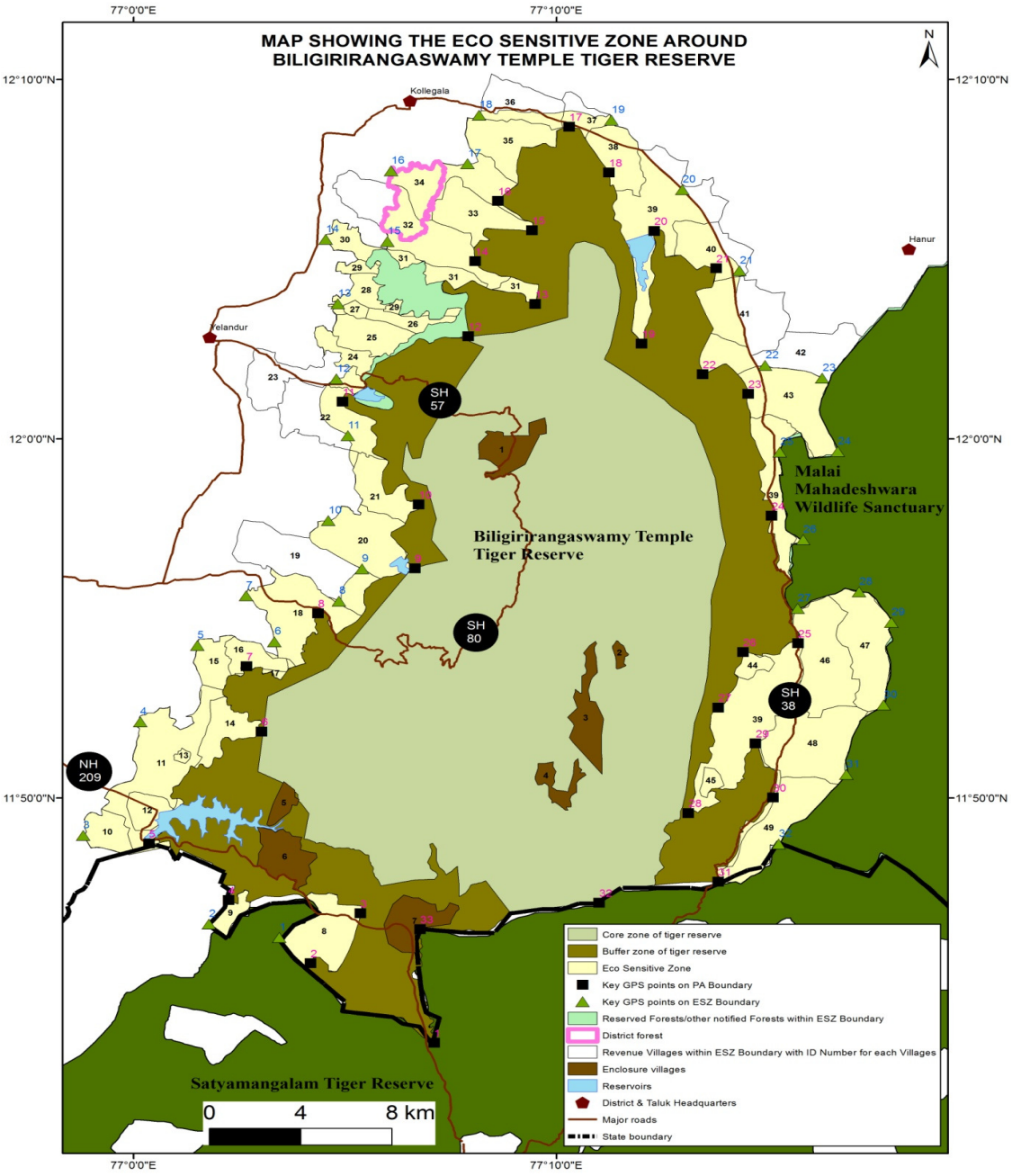

ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF BILIGIRIRANGASWAMY TEMPLE TIGER RESERVE

Map id	Latitude (E)	Longitude (N)
1	11° 43' 11"	77° 7' 6"
2	11° 45' 24"	77° 4' 11"
3	11° 46' 48"	77° 5' 22"
4	11° 47' 9"	77° 2' 15"
5	11° 48' 44"	77° 0' 22"
6	11° 51' 51"	77° 3' 2"
7	11° 53' 40"	77° 2' 40"
8	11° 55' 9"	77° 4' 22"
9	11° 56' 24"	77° 6' 39"
10	11° 58' 10"	77° 6' 44"
11	12° 1' 2"	77° 4' 56"
12	12° 2' 51"	77° 7' 55"
13	12° 3' 45"	77° 9' 29"
14	12° 4' 57"	77° 8' 4"
15	12° 5' 48"	77° 9' 25"
16	12° 6' 37"	77° 8' 37"
17	12° 8' 41"	77° 10' 18"
18	12° 7' 25"	77° 11' 14"
19	12° 2' 39"	77° 12' 1"
20	12° 5' 47"	77° 12' 18"
21	12° 4' 45"	77° 13' 46"
22	12° 1' 48"	77° 13' 27"
23	12° 1' 15"	77° 14' 32"
24	11° 57' 52"	77° 15' 5"
25	11° 54' 18"	77° 15' 42"

26	11° 54' 4"	77° 14' 24"
27	11° 52' 31"	77° 13' 49"
28	11° 49' 35"	77° 13' 7"
29	11° 51' 31"	77° 14' 42"
30	11° 50' 1"	77° 15' 7"
31	11° 47' 40"	77° 13' 49"
32	11° 47' 5"	77° 11' 0"
33	11° 46' 21"	77° 6' 46"

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Map id	Latitude (E)	Longitude (N)
1	11° 46' 7"	77° 3' 27"
2	11° 46' 30"	77° 1' 47"
3	11° 48' 57"	76° 58' 49"
4	11° 52' 7"	77° 0' 10"
5	11° 54' 15"	77° 1' 31"
6	11° 54' 21"	77° 3' 20"
7	11° 55' 38"	77° 2' 40"
8	11° 55' 29"	77° 4' 51"
9	11° 56' 23"	77° 5' 24"
10	11° 57' 43"	77° 4' 36"
11	12° 0' 5"	77° 5' 4"
12	12° 1' 40"	77° 4' 48"
13	12° 3' 46"	77° 4' 50"
14	12° 5' 33"	77° 4' 33"
15	12° 5' 30"	77° 6' 0"
16	12° 7' 28"	77° 6' 5"
17	12° 7' 40"	77° 7' 54"
18	12° 9' 1"	77° 8' 10"
19	12° 8' 52"	77° 11' 18"
20	12° 6' 56"	77° 12' 59"
21	12° 4' 41"	77° 14' 20"
22	12° 2' 3"	77° 14' 56"
23	12° 1' 41"	77° 16' 17"
24	11° 59' 39"	77° 16' 39"
25	11° 59' 38"	77° 15' 17"

26	11° 57' 11"	77° 15' 50"
27	11° 55' 17"	77° 15' 42"
28	11° 55' 44"	77° 17' 9"
29	11° 54' 53"	77° 17' 55"
30	11° 52' 35"	77° 17' 44"
31	11° 50' 39"	77° 16' 51"
32	11° 48' 43"	77° 15' 15"

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF BILIGIRIRANGASWAMY TEMPLE TIGER RESERVE ALONG WITH GEO-COORDINATES

Map id	Village name	Taluk	District	Area in ha	Latitude	Longitude	Remarks
1	Biligiri Ranaganatha Temple	Yelandur	Chamarajanagara	441.891	11° 59' 50"	77° 9' 29"	***Entire village**
2	Emmehatti	Kollegal	Chamarajanagara	55.9225	11° 54' 3"	77° 11' 38"	Entire village
3	Honnametti	Kollegal	Chamarajanagara	493.63	11° 52' 12"	77° 11' 6"	Entire village
4	Bedguli	Chamarajanagara	Chamarajanagara	212.177	11° 50' 39"	77° 9' 57"	Entire village
5	Chikmudahalli	Chamarajanagara	Chamarajanagara	149.674	11° 49' 58"	77° 3' 55"	Entire village
6	Doddamudhalli	Chamarajanagara	Chamarajanagara	494.952	11° 48' 34"	77° 3' 56"	Entire village
7	Punjur	Chamarajanagara	Chamarajanagara	499.589	11° 46' 22"	77° 6' 39"	Entire village
8	Punajanur State Forest	Chamarajanagara	Chamarajanagara	843.949	11° 45' 10"	77° 4' 45"	Entire village
9	Honnegaudanahundi	Chamarajanagara	Chamarajanagara	166.891	11° 46' 17"	77° 1' 57"	Entire village
10	Bommarahalli	Chamarajanagara	Chamarajanagara	336.021	11° 49' 8"	76° 58' 51"	Entire village
11	Haradonahalli District Forest	Chamarajanagara	Chamarajanagara	1401.25	11° 50' 60"	77° 0' 2"	Entire village
12	Attugulipur	Chamarajanagara	Chamarajanagara	279.138	11° 49' 46"	76° 59' 50"	Entire village
13	Hongalayady	Chamarajanagara	Chamarajanagara	35.8129	11° 51' 14"	77° 0' 59"	Entire village
14	Kumbeshwara Colony	Chamarajanagara	Chamarajanagara	458.19	11° 52' 9"	77° 1' 49"	Entire village
15	Ayyanpur	Chamarajanagara	Chamarajanagara	325.893	11° 53' 47"	77° 1' 25"	Entire village
16	Malledevanahalli	Chamarajanagara	Chamarajanagara	301.669	11° 54' 21"	77° 2' 50"	Entire village
17	Haradanahalli Distrcitforest	Chamarajanagara	Chamarajanagara	38.8297	11° 53' 32"	77° 3' 22"	Entire village
18	Hondralu	Chamarajanagara	Chamarajanagara	1057.43	11° 55' 41"	77° 2' 39"	Entire village

19	Joytigaudanapur	Chamarajanagara	Chamarajanagara	212.95	11° 55' 54"	77° 4' 58"	1 km
20	Melmal	Chamarajanagara	Chamarajanagara	982.64	11° 57' 15"	77° 4' 9"	Entire village boundary
21	Timmegoudanapalya	Chamarajanagara	Chamarajanagara	498.752	11° 58' 42"	77° 5' 14"	Entire village
22	Yeragamballi	Yelandur	Chamarajanagara	453.593	12° 0' 44"	77° 4' 25"	1 km
23	Gumballi	Yelandur	Chamarajanagara	108.567	12° 1' 42"	77° 4' 54"	1 km
24	Vadagere	Yelandur	Chamarajanagara	245.268	12° 2' 45"	77° 4' 20"	Entire village
25	Gaudahalli	Yelandur	Chamarajanagara	490.196	12° 3' 12"	77° 4' 45"	Entire village
26	Alkereagrahara	Yelandur	Chamarajanagara	205.254	12° 3' 30"	77° 5' 31"	Entire village
27	Jodimellahalli	Yelandur	Chamarajanagara	68.162	12° 3' 43"	77° 4' 58"	Entire village
28	Malarpalya	Yelandur	Chamarajanagara	256.832	12° 4' 13"	77° 5' 9"	Entire village
29	Devarahalli	Yelandur	Chamarajanagara	93.5211	12° 4' 50"	77° 4' 47"	Entire village
30	Shivakahalli	Yelandur	Chamarajanagara	232.861	12° 5' 44"	77° 4' 43"	Entire village
31	Arepalya	Kollegal	Chamarajanagara	75.4656	12° 5' 15"	77° 6' 10"	Entire village
32	Surapura	Kollegal	Chamarajanagara	952.734	12° 6' 8"	77° 5' 56"	Western boundary of Madumalegudda
33	Jakkallidoddi	Kollegal	Chamarajanagara	672.347	12° 6' 40"	77° 7' 18"	Entire village
34	Timmarajapura	Kollegal	Chamarajanagara	845.367	12° 7' 34"	77° 7' 4"	Entire village
35	Hondarabalu	Kollegal	Chamarajanagara	698.986	12° 8' 39"	77° 7' 52"	Entire village
36	Madhuvanahalli	Kollegal	Chamarajanagara	189.245	12° 9' 5"	77° 9' 19"	Entire village
37	Haruvanapuram	Kollegal	Chamarajanagara	158.596	12° 8' 58"	77° 10' 53"	Entire village
38	Lakshmipuram	Kollegal	Chamarajanagara	558.412	12° 8' 22"	77° 11' 48"	Entire village
39	Hona Berrabetta	Kollegal	Chamarajanagara	3690.62	11° 52' 26"	77° 15' 44"	Village till Kollegal-Hasnur Ghat road
40	Chennalinganahalli	Kollegal	Chamarajanagara	493.925	12° 5' 10"	77° 13' 58"	
41	Chikka Malapura	Kollegal	Chamarajanagara	446.874	12° 3' 25"	77° 14' 18"	
42	Siragodu	Kollegal	Chamarajanagara	319.625	12° 2' 19"	77° 14' 35"	
43	Lakkanahalli	Kollegal	Chamarajanagara	1077.19	12° 0' 49"	77° 16' 15"	Entire village
44	Mavattur	Kollegal	Chamarajanagara	140.497	11° 53' 31"	77° 15' 1"	Entire village
45	Gundimalam	Kollegal	Chamarajanagara	93.7811	11° 50' 21"	77° 13' 57"	Entire village

46	Arabikere	Kollegal	Chamarajanagara	1178.13	11° 54' 12"	77° 16' 53"	Entire village
47	Parasegaundanapalya	Kollegal	Chamarajanagara	1013.25	11° 54' 30"	77° 17' 56"	Entire village
48	Utturu	Kollegal	Chamarajanagara	1240.9	11° 51' 21"	77° 16' 56"	Entire village
49	Bailur	Kollegal	Chamarajanagara	956.112	11° 49' 17"	77° 15' 34"	Entire village
			Total:	**26243.56**			

** The lands given to BRT Temple and to some Government departments would be allowed for future developments with sound eco-friendly norms.*

ANNEXURE–V

Performa of Action Taken Report.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.11.21 15:50:34 +05'30'